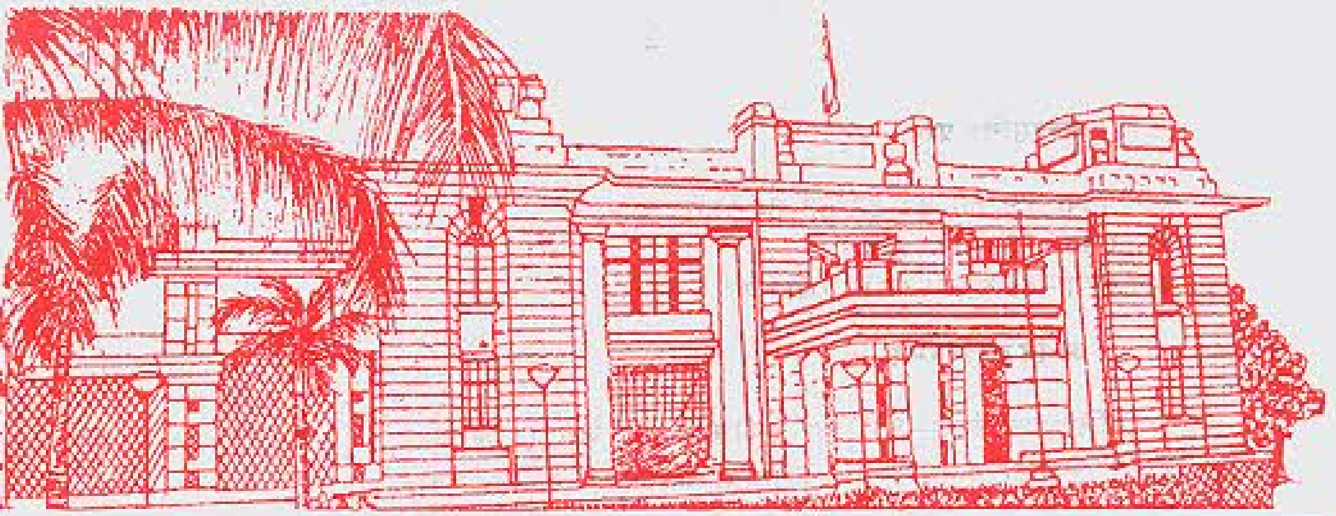

बिहार विधान परिषद् दैनिक विवरणिका

संख्या- 9 सत्र- 185वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
बुधवार, दिनांक 8.3.2017 ई.

माननीय उप सभापति श्री मो. हारूण रशीद की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 5.20 अपराह्न तक

1. कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

सदन की कार्यवाही आरंभ होते ही विपक्ष के माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहा, जिसका समर्थन माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव ने भी किया। आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि शून्यकाल के संबंध में मैं आपसे आग्रह कर चुका हूं और फिर आग्रह करता हूं कि यह शून्यकाल का मामला है, यह कार्यस्थगन शून्यकाल में लाइएगा। जब प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है तब उठाइयेगा।

(इस अवसर पर विरोधी दल के माननीय सदस्यगण अपने-अपने स्थानों पर खड़े होकर जोर-जोर से बोलने लगे।)

माननीय सदस्य, डा. दिलीप कुमार चौधरी ने कॉलेजों को अनुदान नहीं मिलने के मामले की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट कराया।

2. प्रश्नोत्तर काल

प्रश्नोत्तर काल आरंभ होते ही आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को धन्यवाद दिया कि आपने एक प्रश्न का उत्तर पूर्व में उपलब्ध करा दिया है तथा कहा कि मैं आशा करता हूं कि सभी प्रश्नों के उत्तर पूर्व में दे दें तो हमको सदन चलाने में आसानी होगी तथा आपको भी सुविधा होगी।

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 79, 80, 81, 82, 83, 84 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 78 स्थगित हुआ।
प्रश्न संख्या- 85 सदन पटल पर रखा गया।

आसन का नियमन

अल्पसूचित प्रश्न संख्या– 83 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय सदस्य, आपकी समस्या का समाधान माननीय मंत्री करेंगे।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या- 84 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि इस पत्र को देख लीजिए, जो सवाल उठा है, किसानों के हित का मामला है, आप जो शेष बचे समय में खरीदारी करनी है, जो पैसों का भुगतान नहीं हुआ है, जो तीन प्रश्न उठाये गये हैं, तीनों को देख लीजिए और उसपर तत्परता से कार्रवाई करवाइए।

इस प्रश्न के उत्तर के दौरान विरोधी दल के माननीय सदस्यों द्वारा लगातार जोर-जोर से आरोप लगाये जाने लगे तथा सरकार की ओर से माननीय सहकारिता मंत्री तथा माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार इसपर डिबेट कराने के लिए तैयार है। आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि डिबेट की मांग दोनों ओर से हो रही है, इसलिए हम इसपर डिबेट कराएंगे और डेट तय करेंगे।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 158, 159, 160, 161, 162 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 163 सदन पटल पर रखा गया।
प्रश्न संख्या- 164 से 177 तक अनागत हुए।

माननीय मुख्यमंत्री का आसन से अनुरोध

तारांकित प्रश्न संख्या- 162 पर विपक्ष द्वारा लगातार बोले जाने पर माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि उप सभापति महोदय, ये क्वेश्चन आवर है और इसमें कोई पूरक प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसका उत्तर माननीय मंत्री देंगे । मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अगर पूरक के सिलसिले में किसी भी विपक्ष के माननीय सदस्य को लंबा प्रवचन देने का मौका देते हैं तो माननीय मंत्री को भी लंबा उत्तर देने का मौका दीजिये और जरूरत पड़े तो प्रश्नकाल की अवधि को बढ़ा दीजिये। जवाब देने को तैयार हैं। ये क्या प्रक्रिया है, कौन-सी प्रक्रिया है । उत्तर पूछने का साहस नहीं है । एक-एक प्रश्न का उत्तर देने को माननीय मंत्री तैयार हैं और आप (विरोधी दल के माननीय सदस्यगण) चाहते नहीं हैं कि इनके प्रश्न के उत्तर सदन में सही ढंग से दिए जाएं। ये अपनी बात कहेंगे और उसके बाद वेल में आयेंगे, यह नियमविरुद्ध आचरण है ।

इस अवसर पर विरोधी दल के माननीय सदस्यगण सदन वेश्म में आकर नारेबाजी करने लगे, जबकि माननीय नेता, विरोधी दल, श्री सुशील कुमार मोदी अपने स्थान से बोलते रहे। आसन के निदेश पर माननीय मंत्री, श्री आलोक कुमार मेहता ने भी अपना वक्तव्य पूरा किया।

3. शून्यकाल

शून्यकाल की घोषणा होने के बावजूद यथावत् वेश्म से नारेबाजी जारी रही। आसन द्वारा माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह एवं माननीय सदस्य, प्रो. नवल किशोर यादव का नाम पुकारा गया

तथा माननीय सदस्यों से अनुरोध किया गया कि शून्यकाल को चलने दीजिए और अपना-अपना स्थान ग्रहण कीजिए परन्तु यथावत् नारेबाजी जारी रही।

कार्यस्थगन प्रस्ताव के संबंध में आसन का नियमन

आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार से प्राप्त कार्यस्थगन प्रस्ताव की सूचना को बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 2, 5, 22, 24, 25 एवं 26 के आलोक में अस्वीकृत कर दिया गया है।

सदन के व्यवस्थित नहीं होने की स्थिति में माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की कार्यवाही 2.30 अपराह्न तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।

(अंतराल)

4. **ध्यानाकर्षण**

1. माननीय सदस्य, श्री सुमन कुमार द्वारा मधुबनी जिलान्तर्गत विभिन्न स्वास्थ्य केन्द्रों पर चिकित्सकों, ए.एन.एम. एवं जीवनरक्षक दवाओं की समुचित व्यवस्था के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री तेज प्रताप यादव ने वक्तव्य दिया।

2. माननीय सदस्य, श्री सतीश कुमार द्वारा पूर्वी चंपारण जिले में बिहार राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के पदाधिकारियों द्वारा 'डोर स्टेप डिलीवरी' के तहत प्राप्त निविदा में बरती गयी अनियमितता के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाना।

   (माननीय सदस्य अनुपस्थित)

3. माननीय सदस्य, श्री शिव प्रसन्न यादव द्वारा न्यू पुनाईचक, हनुमान नगर, पटना के डा. सी.पी. ठाकुर पथ पर जमा मलबा के उठाव के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाना।

   (माननीय सदस्य अनुपस्थित)

4. माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार द्वारा कावर झील के आश्रयणी क्षेत्र के किसानों के दावों/आपत्तियों के निपटारे के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, डा. मदन मोहन झा ने वक्तव्य दिया।

आसन का नियमन

आसन से नियमन देने की कृपा की गई कि माननीय मंत्री आप सक्षम हैं, माननीय सदस्य से पूरा ब्रीफ ले करके आप उचित कार्रवाई करें। जिनसे भी मशविरा करना हो, वह आप करें। माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि विभाग के साथ को-ऑर्डिनेट करना होगा, रिकोमेंड करना होगा, सारी चीज के लिए माननीय मंत्री तैयार हैं, आप उनके साथ को-ऑर्डिनेट कर लीजिए, समाधान चाहिए न, हो गया। आपको कह रहे हैं माननीय सदस्य, वे बात कर लेंगे और उसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे।

5. माननीय सदस्य, श्री केदार नाथ पाण्डेय द्वारा पटना के सुल्तानगंज थानान्तर्गत डा. अम्बेदकर कॉलोनी के जीर्ण-शीर्ण भवन का ध्वस्त कर पुनर्निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया गया।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री महेश्वर हजारी ने वक्तव्य दिया।

5. अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आसन का अनुरोध एवं नियमन

अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस पर आसन की ओर से पहले महिला माननीय सदस्यों को बोलने हेतु अनुरोध किया गया जिसपर निम्नांकित माननीय महिला सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए -

1. श्रीमती राबड़ी देवी
2. श्रीमती नूतन सिंह

माननीय सदस्या, श्रीमती नूतन सिंह के भाषण के उपरांत माननीय नेता, प्रतिपक्ष, श्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि केवल महिलाओं को ही बोलने का अधिकार आज के दिन नहीं होना चाहिए। इसपर आसन से माननीय उप सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि नहीं, नहीं, पैनल में जो नाम है हम उन्हीं को बोलवा रहे हैं । जो सूची हमारे पास आयी है उसमें और भी नाम है जो बाद में बोलेंगे, वाद-विवाद जो हो रहा है वह 2017-18 के आय-व्यय पर विभागवार वाद-विवाद है, उसी में इनलोगों ने अपना नाम दिया है और चूंकि आज अन्तरराष्ट्रीय महिला दिवस है इसलिए मैंने महिलाओं को प्रायरिटी में लिया है।

इसी क्रम में माननीय नेता, प्रतिपक्ष, श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय मंत्री, श्री आलोक कुमार मेहता तथा माननीय मंत्री, श्री चन्द्रशेखर ने अपने विचार रखे।

6. वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद
(कृषि, गन्ना उद्योग, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग)

वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर विभागवार सामान्य वाद-विवाद पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए -

1. श्री रामचन्द्र भारती
2. श्री सी.पी. सिन्हा उर्फ चन्द्रेश्वर प्रसाद सिन्हा
3. श्री विनोद नारायण झा
4. श्री हीरा प्रसाद बिन्द
5. श्रीमती रीना देवी उर्फ रीना यादव
6. श्री नीरज कुमार

विभागवार वाद-विवाद के उपरांत सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री राम विचार राय ने वक्तव्य दिया।

(वक्तव्य आरंभ होते ही विपक्ष के सभी माननीय सदस्य सदन से उठकर बाहर चले गये)

इस अवसर पर माननीय उप सभापति महोदय ने माननीय मंत्री का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा कि पौधा संरक्षण विभाग को थोड़ा व्यवस्थित करने की जरूरत है । इसकी चर्चा इसमें नहीं हुई है कि कौन से फसल में कौन-सा कीड़ा लगता है, वह आज ज्यादा फंक्शनल नहीं है, कृपया इसको देखेंगे। माननीय मंत्री ने आश्वस्त किया कि वे इसे देखेंगे।

श्री अब्दुल जलील मस्तान माननीय मंत्री, निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग का वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया।

7. सदन का समय बढ़ाया जाना

माननीय मंत्री के वक्तव्य के बीच ही माननीय मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल, श्री संजय कुमार सिंह के प्रस्ताव पर कि सरकार का उत्तर होने तक तथा शेष कार्यों के निष्पादन तक सदन का समय बढ़ाया जाय, सदन की सहमति से समय बढ़ाया गया।

8. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. डॉ. रामवचन राय
2. प्रो. संजय कुमार सिंह
3. श्री मो. गुलाम रसूल
4. प्रो. नवल किशोर यादव
5. श्री नीरज कुमार
6. श्री राणा गंगेश्वर सिंह
7. श्री रामचन्द्र भारती

माननीय उप सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं। माननीय उप सभापति महोदय ने सभी लोगों, माननीय सदस्यों, माननीय मंत्रियों एवं तमाम बिहारवासियों को होली की शुभकामनाएं दीं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक बुधवार, दिनांक 15.3.2017 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई ।

8/3/2017

(सुभीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक- 324 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 8.3.2017

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, जनसंपर्क एवं सूचना विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार 8-3-2017

(प्रमोद कुमार)
वरीय प्रतिवेदक
बिहार विधान परिषद्